राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1707/2008
गोपाल दास सैनी

–अपीलार्थी

बनाम

1. आयुक्त, देवस्थान विभाग, उदयपुर।
2. सहायक आयुक्त प्रथम, देसस्थान, जयपुर।

प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 14.12.2023

उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री राकेश कुमावत, अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

1. इस अपील में अपीलार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री राकेश कुमावत उपस्थित। उन्होंने निवेदन किया है कि वर्तमान में अपीलार्थी उनके संपर्क में नहीं है एवं उनसे संपर्क करने के प्रयास किये गये, परंतु नहीं हो पाया, ऐसे में वे इस प्रकरण में बहस करने में असमर्थ है।
2. उक्त प्रकरण वर्ष 2008 का है और वर्तमान में यह अपील 15 साल से इस अधिकरण के समक्ष लम्बित है। ऐसे में पत्रावली में उपस्थित तथ्यों के आधार पर प्रकरण का निस्तारण किया जाना उचित प्रकट होता है।
3. अपीलार्थी ने अपनी इस अपील में आदेश दिनांक 23.07.2008 को चुनौती दी है, जिसके द्वारा अपीलार्थी को उसके विरूद्ध अनियमित मकान भत्ता राशि रुपये 34881/– का मानते हुए उसका भुगतान जमा कराने के लिए निर्देश दिये गये थे। उल्लेखनीय है कि पूर्व में अपीलार्थी ने एक अपील संख्या 12/1999 इस अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की थी, जिसमें दिनांक 14.09.2000 को निर्णय पारित किया गया, जिसमें अपीलार्थी को अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के लिए निर्देश दिये गये थे और प्रत्यर्थी विभाग को अभ्यावेदन को निस्तारित करने लिए निर्देश दिये गये थे।
4. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से इस अपील का जवाब प्रस्तुत करते हुए यह कथन किया गया है कि अपीलार्थी का अभ्यावेदन दिनांक 28.04.2001 को निस्तारित किया गया, जिसमें यह माना गया है कि ऐसे राज्य कर्मचारी जो देवस्थान

विभाग के भवनों में रहते हैं, चाहे तो वे देवस्थान विभाग के हों अथवा अन्य विभाग के, उन्हें मकान किराया भत्त नहीं दिया जावेगा। उक्त आधार पर अपीलार्थी का अभ्यावेदन खारिज किया गया।

5. हमनें तथ्यों पर विचार किया। अपीलार्थी की इस तथ्य पर आपत्ति नहीं रही है कि वह राजकीय देवस्थान में निवास करता था। ऐसे में हम प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अभ्यावेदन के निष्कर्ष को देखते हुए अभ्यावेदन को निस्तारित करने में कोई त्रुटि नहीं पाते हैं। परिणामस्वरूप यह अपील खारिज की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)